



झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
भूतल, कल्याण कॉम्प्लेक्स (अवस्थित प्रशिक्षण भवन), बलिहार रोड, मोराबादी, राँची-834008
फोन-0651-2552055 / 0651-3596445, ई-मेल: jsmfcd.ranchi@gmail.com
CIN : U93000JH2012NPL000264

सूचना

सूचना संख्या-02

दिनांक-08.10.2026

अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष कर बुनकरों/हस्तकरघों/हस्तशिल्पियों आदि परम्परागत उद्यमिता को गति प्रदान करने हेतु इस व्यवसाय से जुड़े युवाओं/युवतियों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से संचालित विरासत योजना के तहत ऋण मुहैया कराये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

अतः इस व्यवसाय से जुड़े इच्छुक एवं योग्य युवक/युवती अपना आवेदन पत्र दिनांक-31.10.2026 तक रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, बलिहार रोड, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची, पिन कोड-834008 के पते पर भेज सकते हैं। विरासत योजना के तहत आवेदन करने हेतु निर्धारित अर्हता एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राँची के वेबसाइट www.jsmfcd.com पर उपलब्ध है।

प्रबंध निदेशक।



झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

प्रथम तल, कल्याण कॉम्पलेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची-834008

फोन-0651 2552055, ई-मेल: jsmfdc.ranchi@gmail.com

CIN : U93000JH2012NPL000264

“विरासत योजना”

राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से विरासत योजना अन्तर्गत ऋण-सह अनुदान के लिए विहित आवेदन प्रपत्र।

आवेदन-प्रपत्र

जिला का नाम:-.....

1. आवेदक का नाम:-.....

2. पिता/पति का नाम:-.....

3. माता/पत्नी का नाम:-.....

4. आधार नम्बर:-.....

5. पैन कार्ड नम्बर:-.....

6. जन्म तिथि :-.....

7. बैंक विवरणी:-

7.1 बैंक का नाम:-.....

7.2 बैंक खाता नम्बर:-.....

7.3 बैंक का आई0एफ0एस0 कोड:-.....

8. बैंक का नाम एवं खाता नम्बर:-.....

9. आवेदक का स्थायी पता:-.....

.....पिन कोड:-.....

10. स्थानीयता विषयक (ऑनलाईन) प्रमाण-पत्र का क्रमांक :-..... (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

11. वैवाहिक स्थिति :- () विवाहित () अविवाहित () विधवा () तलाकशुदा

12. समुदाय :- () मुस्लिम () ईसाई () सिख () जैन () अन्य

13. जाति (ऑनलाईन) प्रमाण-पत्र क्रमांक :-..... (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

14. प्राप्त किए गए आय ऋण/साख सुविधाओं का विवरण :-

संस्था का नाम	प्राप्त ऋण राशि	मासिक देय राशि	बकाया देय राशि	टिप्पणी

आवेदक का रंगीन
फोटो

15. भूमि तथा अन्य सम्पत्ति :-

सम्पत्ति	मूल्यांकन
कुल :-	

16. स्वरोजगार/लघुव्यवसाय का ब्यौरा:-

(व्यापार-योजना/बिजनेस प्लान संलग्न करें)।

17. प्रस्तावित ऋण की राशि:-

18. आय प्रमाण पत्र (ऑनलाईन) प्रमाण-पत्र का क्रमांक :-.....

(स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

19. गारण्टर

19.1 गारण्टर का नाम:-

19.2 गारण्टर का पूरा पता:-

19.3 गारण्टर :-

सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र/बैंक/सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मि होने पर प्रपत्र-II
संलग्न करें। संलग्न - हाँ/नहीं।

19.4 सम्पन्न/प्रतिष्ठित आयकर दाता गारण्टर होने पर गारण्टर का आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित
छायाप्रति संलग्न करें। प्रपत्र-I संलग्न करें। संलग्न - हाँ/नहीं।

19.5 (PDCs) Post Dated Cheque.

20. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-प्रपत्र में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएँ सत्य है तथा इसमें
से किसी भी सूचना/जानकारी गलत पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी।

21. आवेदन में अंकित सभी नियम एवं शर्तों को मैं स्वीकार करता/करती हूँ।

22. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऋण की राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए करूँगा/करूँगी
जिसके लिए यह ऋण ले रहा हूँ।

23. प्रदत्त ऋण की राशि का पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करने पर निगम को
ऋण रद्द करने और मेरे विरुद्ध वसूली सहित अन्य विधिक कार्रवाई कर सकने का अधिकार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदक का पूरा नाम :

दिनांक :

स्थान :

गारन्टर प्रपत्र-I

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
कल्याण कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची- 834008
फोन-0651 2552055, ई-मेल: jsmfdc.ranchi@gmail.com

विरासत योजना

गारन्टर का प्रमाण-पत्र

(जो सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हो एवं आयकर दाता हों)

आयकर दाता गारंटीदाता भरें :

1. गारंटीदाता का नाम(आयकर दाता):
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पूर्ण आवासीय पता : पिन कोड
5. पैन संख्या :
6. मोबाईल नम्बर :
7. आय का स्रोत (स्व-व्यवसाय/नौकरी):
8. नियोक्ता का नाम (यदि हो) :
9. नियोक्ता का पता :
10. पदनाम :
11. गत वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न में दर्शायी गयी शुद्ध कर योग्य आय (Net Taxable Income) :(छायाप्रति संलग्न)।
12. गत वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न में भुगतान किया गया आयकर (Income Tax) :(छायाप्रति संलग्न)

गारन्टर का
रंगीन फोटो

संकल्प

मैं (गारन्टर का पूरा नाम)..... ऋण आवेदन कर्ता (आवेदक का पूरा नाम)..... को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तथा इनके द्वारा ऋण के लिए किए गए आवेदन प्रपत्र को पूरी तरह पढ़ा हूँ। इनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है और इनके द्वारा ऋण की राशि का पूर्णतः उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं पूर्व में झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, कार्यालय के किसी भी योजना एवं किसी भी लाभुक द्वारा प्राप्त किये गये सावधि ऋण के लिए गारन्टर नहीं बना/बनी हूँ।

गारन्टर का हस्ताक्षर

गारन्टर का पूरा नाम :

दिनांक :

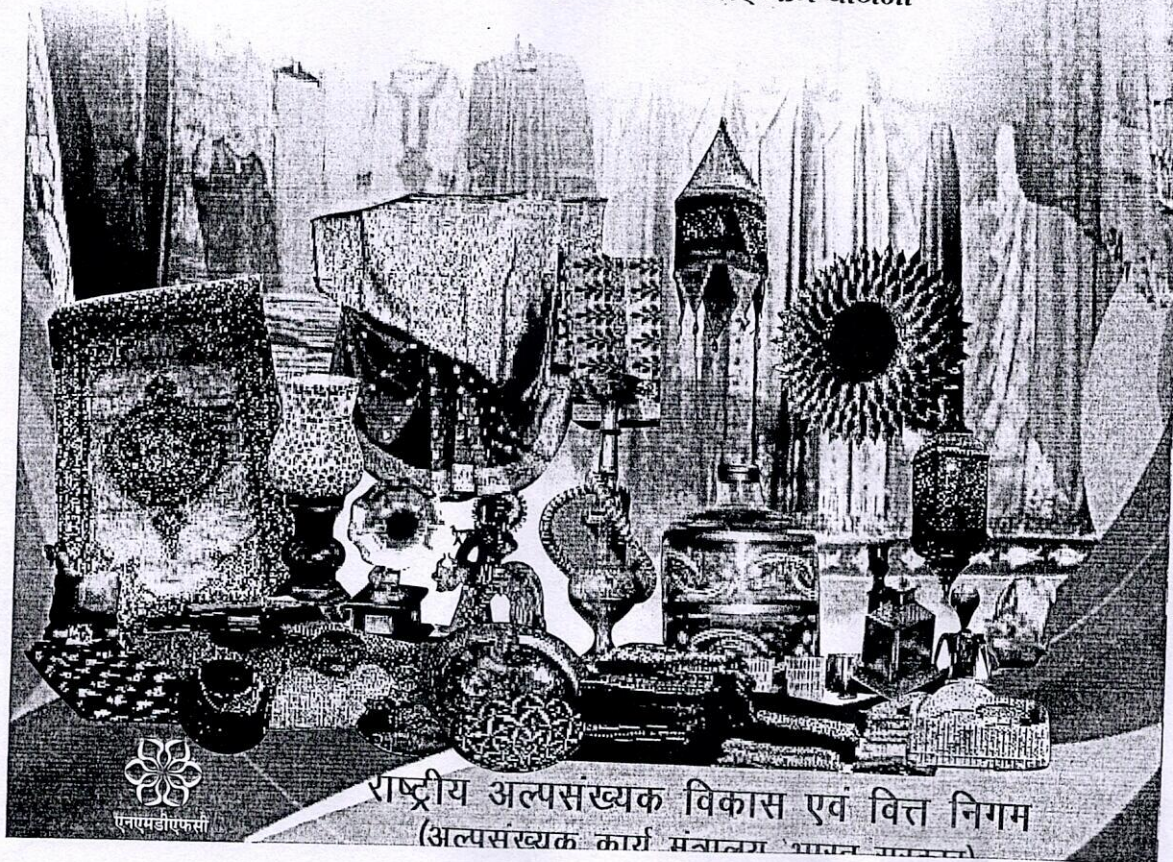
स्थान :



अनूठी धरोहर का संरक्षण

विरासत

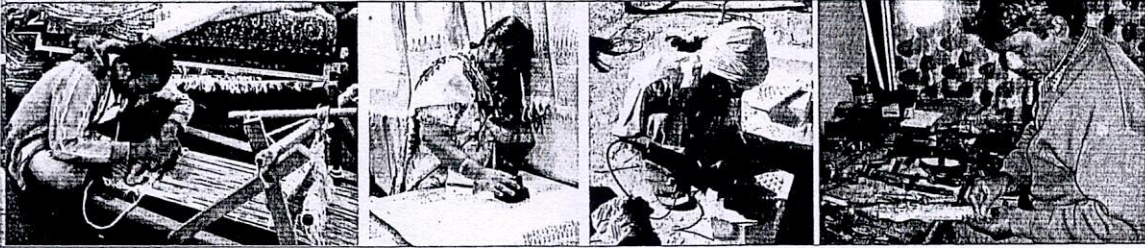
- दस्तकारों के लिए ऋण योजना



एनएचडीएफसी

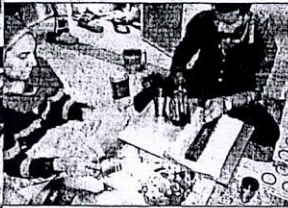
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

दस्तकारों के लिए ऋण योजना



1. परिचय—

हथकरघा और हस्तशिल्प पुरातन काल से हमारी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। देश भर में फैले लाखों दस्तकारों को रोजगार मुहैया कराए जाने के लिए पूंजी की मदद का प्रावधान रखते हुए, इन गतिविधियों को टिकाऊ और स्थायित्व प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। अल्पसंख्यक समुदायों के दस्तकारों की एक बड़ी संख्या को पूंजी के अभाव में कच्चे माल की खरीद के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि, दस्तकारों को वरीयता देते हुए, एनएमडीएफसी द्वारा सावधि ऋण (टर्म लोन) दिया जाता है। लेकिन, एनएमडीएफसी की एससीए द्वारा दिए जाने वाले ऋण का कुल 4 प्रतिशत ही दस्तकारों को मिल पाता है। विरासत योजना में दस्तकारों को टर्म लोन योजना की तुलना में 1 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।



2. दायरा—

पूरे देश के अधिसूचित अल्पसंख्यक जैसे, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के सभी दस्तकार इस योजना के अंतर्गत आएंगे। इस योजना को एनएमडीएफसी के संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) एवं केनरा बैंक के माध्यम से लागू किया जाएगा।

3. पात्रता—

क्रेडिट लाईन 1 क्रेडिट लाईन 1 के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000/- रु. तक और शहरी इलाकों में 1.20 लाख रु. तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले दस्तकार इस योजना के अंतर्गत आएंगे।

क्रेडिट लाईन 2 क्रेडिट लाईन 2 के तहत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के दस्तकार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 8.00 लाख तक है इस योजना के अंतर्गत आएंगे।



अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उत्पाद योजना के तहत आयोजित हुनर हाट प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले दस्तकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार के अन्य रियायती ऋण योजना के तहत पहले से ऋण लेने वाले दस्तकार, इस योजना के तहत, दुबारा ऋण लेने के पात्र नहीं होंगे।



4. ऋण का उद्देश्य—

इस योजना में, दस्तकारों की नकदी जरूरतों और उपकरण/औजार/मशीनरी की खरीद के लिए ऋण उपलब्ध है।

5. ऋण की राशि—

इस योजना के तहत 10.00 लाख रु तक का ऋण लिया जा सकता है।

6. एससीए/दस्तकार का मार्जिन:-

एनएमडीएफसी, ऋण राशि का 90 प्रतिशत प्रदान करेगी। शेष बचे 10 प्रतिशत को एससीए/दस्तकार द्वारा दिया जाएगा, जिसमें, कम से कम 5 प्रतिशत की राशि दस्तकार को देनी होगी।

7. ऋणस्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड):-

एनएमडीएफसी द्वारा दिए गए ऋण की तारीख से राशि का उपयोग करने के लिए एससीए को 3 महीने का समय मिलेगा। दस्तकारों को अपनी इकाइयों की स्थापना के लिए 6 महीने का समय (मोरेटोरियम पीरियड) दिया जाएगा। दस्तकार द्वारा मूल राशि की अदायगी, ऋणस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद, अगली तिमाही में शुरू होगी, जैसे कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर। हालांकि, दस्तकार को ऋणस्थगन अवधि का ब्याज पहली किस्त देने के समय, मूलधन के साथ चुकाना होगा।

8. ऋण अदायगी की अवधि:-

ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड) के बाद, दस्तकार को ऋण की अदायगी 5 सालों में त्रैमासिक किस्तों में करनी होगी। एससीए द्वारा एनएमडीएफसी को ऋण की वापसी 8 सालों में करनी होगी।

9. ऋण के लिए दी जाने वाली जमानत:-

किस प्रकार की जमानत ली जाएगी इसका निर्णय एससीए द्वारा किया जाता है। सामान्यतः, एससीए को निम्नलिखित जमानत का परामर्श दिया जाता है:-

1,00,000 रु. तक के ऋणों के लिए	दस्तकार की अपनी खुद की गारंटी और पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)
1,00,000 रु. से ज्यादा और 5,00,000 रु. तक के ऋणों के लिए	सरकारी/पीएसयू/बैंक के एक कर्मचारी या एक आय करदाता/लोक प्रतिनिधि की गारंटी एवं पोस्टडेटेड चेक (पीडीसी)
5,00,000 रु. से ज्यादा के ऋणों के लिए	सरकारी/पीएसयू/बैंक के दो कर्मचारी या दो आय करदाता/लोक प्रतिनिधि की गारंटी या लिए गए ऋण के लिए संपत्ति/अचल संपत्ति को बंधक बनाना जिसका मूल्य ली गई ऋण राशि से कम न हो एवं पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)

10. बीमा:-

एससीए द्वारा बीमा कंपनी से दस्तकारों का बीमा कराया जाएगा, ताकि मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में दस्तकारों को और उनके परिजनों को मुश्किल की घड़ी में मदद मिल सके। ऋण की अवधि के हिसाब से दस्तकारों का बीमा कराया जाएगा।

11. योजना के प्रमुख मानदंड (पैरामीटर्स):-

क्रम सं.	मानदंड	योजना का विवरण	
		क्रेडिट लाईन 1	क्रेडिट लाईन 2
1.	ऋण राशि	10.00 लाख रु. तक	10.00 लाख रु. तक
2.	दस्तकार के लिए ब्याज की दर	पुरुष दस्तकार के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक महिला दस्तकार के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक	पुरुष दस्तकार के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक महिला दस्तकार के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक
3.	एससीए के लिए ब्याज दर	पुरुष दस्तकार के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक महिला दस्तकार के लिए 2 प्रतिशत वार्षिक	पुरुष दस्तकार के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक महिला दस्तकार के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक
4.	ऋणस्थगन अवधि (मोरेटोरियम अवधि)	6 महीने	6 महीने
5.	दस्तकार के लिए ऋण अदायगी अवधि	5 साल	5 साल
6.	एससीए के लिए ऋण अदायगी अवधि	8 साल	8 साल
7.	ऋण देने का पैटर्न: एनएमडीएफसी: एससीए/दस्तकार का अंशदान	90:10 (दस्तकार का कम से कम 5 प्रतिशत का अंशदान)	90:10 (दस्तकार का कम से कम 5 प्रतिशत का अंशदान)
8.	उपयोग अवधि	3 महीने	3 महीने

